उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या-59/57-2022-3(70)/2013टीसी-1
लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2022

कार्यालय आदेश

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद को जाने वाले मार्गो के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण परियोजना को गति प्रदान करने हेतु कार्यालय आदेश सं0-1269/57-2018-3(70)/2013टीसी-1, दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा दिनांक 28.02.2019 तक सृजित निम्नलिखित अधिकारियो /कर्मचारियों के पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 28.02.2023 तक यदि इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, बढाये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	पदों का विवरण	वेतनमान	पदों की संख्या	अभियुक्ति
1	वित्त नियंत्रक	लेवल-13 (रू0 123100-215900)	01	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा तैनाती की जाएगी।
2	डिप्टी कलेक्टर	लेवल -10 (रू0 56100-177500)	01	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति विभाग द्वारा तैनाती की जाएगी।
3	तहसीलदार	लेवल -10 (रू0 56100-177500)	02	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से राजस्व परिषद द्वारा तैनाती की जाएगी।
4	सहायक अभियंता	लेवल -10 (रू0 56100-177500)	01	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से लोक निर्माण विभाग द्वारा तैनाती की जाएगी।
5	लेखाकार	लेवल-6 (रू0 35400-122400)	01	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा तैनाती की जाएगी।
6	अवर अभियंता (सिविल)	लेवल-6 (रू0 35400-122400)	01	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से लोक निर्माण विभाग द्वारा तैनाती की जाएगी।
7	अवर अभियंता (विद्युत)	लेवल-6 (रू0 35400-122400)	01	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से लोक निर्माण विभाग द्वारा तैनाती की जाएगी।
8	राजस्व निरीक्षक	लेवल-5 (रू0 29200-92300)	01	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से राजस्व परिषद द्वारा तैनाती की जाएगी।
9	लेखपाल	लेवल-3 (रू0 21700-69100)	04	इस पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से राजस्व परिषद द्वारा तैनाती की जाएगी।
10	लिपिक	--	02	आउटसोर्सिंग के माध्यम से
		योग	15	

2- यह आदेश वित्त विभाग के अधिकारो के प्रतिनिधायन संबंधी आदेशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-59(1)/57-2022-3(70)/2013टीसी-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, लखनऊ।
7- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
8- जिलाधिकारी, वाराणसी।
9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी।
10- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(रघुवीर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।